BSES

BSES Rajdhani Power Limited

सब्सिडी का लाभ उठाने के लिये योग्यता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को जारी अपने आदेश जिसका नंबर है– F.11(111)/2012/Power/Vol-III/1417-1427 के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोकताओं (किसानों), 1984 सिख दंगा पीड़ितों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अदालत परिसरों के भीतर मौजूद वकीलों के चैंबरों के लिए बिजली पर सब्सिडी वित वर्ष 2020–21 के लिए एक्सटेंड कर दी है।

घरेलू उपभोक्ता

क्रम संख्या	यूनिट / माह	सब्सिडी	टिप्पणी
1	0–200	बिल की पूरी रकम	ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले इंडिविजुअल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी लागू, पर यह टैरिफ शेड्यूल के नोट 11 में वर्णित नियमों व शर्तों पर निर्भर
2	201–400	800 रूपये प्रतिमाह तक	अगर एक महीने में 200 यूनिट से अधिक की खपत हेती है, तो पॉइंट नंबर 1 में वर्णित सब्सिडी उपभोक्ता को नहीं मिलेगी
3	400 से अधिक	सब्सिडी लागू नहीं	अगर खपत महीने मे 400 यूनिट से अधिक है

1984 सिख दंगा पीड़ित

क्रम संख्या	यूनिट / माह	सब्सिडी
1	0–400	बिल की पूरी रकम
2	400 से अधिक	400 यूनिट तक के बिल की पूरी रकम पर सब्सिडी, 400 यूनिट से अधिक होने पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान

वकीलों के चैंबर – राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र दिल्ली सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा 19.12.2019 के निर्णय संख्या 2792 और पावर डिपार्टमेंट के 26.12.2019 के आदेश के तहत, अदालत परिसर के भीतर स्थित वकीलों के चैंबरों के लिए सब्सिडी स्कीम अप्रूव्ड

कृषि कनेकशन – दिल्ली में वित वर्ष 2020–21 के लिए कृषि कनेकशनों पर 105 रूपये / किलोवॉट / माह की दर से, वर्तमान टैरिफ पर सब्सिडी

उदाहरण:

अगर बिलिंग अवधि 31 दिन की है (21/04/2020 to 21/05/2020) जिसमें अप्रैल के 10 दिन और मई के 21 दिन कवर हो रहे हैं, तो ऐसे में उसकी गणना इस प्रकार से होगी

माह	यूनिट	दिन की संख्या	बिल किए गए दिनों की संख्या	सब्सिडी के योग्य यूनिट
अप्रैल	400	30	10	400/30*10=133
मई		31	21	400/31*21=271
कुल				**404**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, एक माह में 400 यूनिट तक की खपत पर सब्सिडी की अनुमति है। उपरोक्त स्थिति में, उपभोक्ता 31 दिन के लिए सब्सिडी पाने के योग्य होगा, लेकिन उसकी बिजली की खपत 404 यूनिट तक ही होनी चाहिए।

BSES

BSES Rajdhani Power Limited

ELIGIBILITY CRITERIA FOR AVAILING SUBSIDY

GoNCTD vide order No. F.11(111)/2012/Power/Vol-III/1417-1427 dated 20th April 2020, has extended subsidy to Domestic consumers, Agricultural consumers (farmers), special subsidy to 1984 Sikh Riots Victims and Lawyers chambers within the premises of the Court Complex in NCT of Delhi for the financial year 2020-21:-

Domestic Consumers

S.No.	Units / month	Subsidy	Remarks
1	0-200	Entire Bill Amount	Also applicable for individual domestic consumers in Group Housing Societies subject to the terms and conditions laid down in note 11 of tariff schedule.
2	201-400	Upto Rs 800/- per month	If more than 200 units are consumed in a month then the consumer will not get the subsidy mentioned at point 1 above.
3	Above 400	Subsidy not applicable	In case consumption is more than 400 units per month.

1984 Sikh Riot Victims

S.No.	Units / month	Subsidy
1	0-400	Entire Bill Amount
2	Above 400	Entire bill amount upto 400 units will be subsidized, balance above 400 units to be paid by consumers.

Lawyer Chambers - Subsidy scheme to Lawyers chambers inside court complexes approved by Council of Ministers of NCT of Delhi vide decision no. 2792 dated 19.12.2019 and Power Department Order dated 26.12.2019

Agricultural Connections - Subsidy on existing tariff @ Rs 105/kW/Month on fixed charges to agricultural connections in Delhi for FY 2020-21

Example:

For domestic connection, if the billing period is 31 days (21/04/2020 to 21/05/2020) covering 10 days of April and 21 days of May respectively, please find the calculation for reference:

Month	Untis	No. of Days	No. of Days billed	Units entitled for Subsidy
April	400	30	10	400/30*10=133
May		31	21	400/31*21=271
Total				**404**

As per Govt of NCT Order, subsidy is allowed for 400 units in a month and in the above cited case the consumer shall be eligible for subsidy for 31 days provided the consumption is upto 404 units.